

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2020—ज्येष्ठ 22, शक 1942

## भाग ४

### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद् के अधिनियम.            |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2020

क्रमांक 678 'मप्रविनिआ/2020. विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 39 (2) (घ) (एक), 40 (ग) (एक), 66 तथा 86 (1) (ग) तथा 86 (2) (एक) के साथ पठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उसे उस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 में प्रथम संशोधन

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति का विस्तार और प्रारंभ

- (1) इस संहिता का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 (प्रथम संशोधन) (क्रमांक एआरजी-34 (एक) सन् 2020)" है।
- (2) यह संहिता मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. खण्ड 8 में संशोधन

उक्त संहिता में, -

- (1) खंड 8 के स्थान पर, निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"8. विचलन प्रभारों के असन्तुलन व्यवस्थापन की प्रक्रिया :

विचलन प्रभारों का कोष सन्तुलन निम्नलिखित तीन चरणों में किया जाएगा :

(एक) विद्युत् वितरण कम्पनियों {मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड (म.क्ष.), मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी (पूर्.क्ष.), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड (प.क्ष.)} का पूर्व कोष सन्तुलन (प्रि पूल बैलेंसिंग) कुल विचलन प्रभारों हेतु किया जाएगा। विद्युत् वितरण कम्पनियों के कुल विचलन प्रभारों (देय/प्राप्य) का दिवस स्तर पर मिलान किया जाएगा।

(दो) निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं (ओ ए सी) को छोड़कर, समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों का कोष सन्तुलन (दीर्घ अवधि के अन्तर्गत) किया जाएगा।

(तीन) निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता (ओ ए सी) तथा वे विद्युत् उत्पादक जो अशक्त ऊर्जा (इन्फर्म पावर) अन्तःक्षेपित करते हों, को सम्मिलित करते हुए, समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों का कोष सन्तुलन (दीर्घ अवधि के अन्तर्गत) किया जाएगा।

- (2) विद्यमान परिशिष्ट-1 के स्थान पर, इस संशोधन के साथ संलग्न परिशिष्ट - 1 स्थापित किया जाए।

आयोग के आदेशानुसार,  
शैलेन्द्र सक्सेना, सचिव.

परिशिष्ट-1

**राज्यान्तरिक इकाईयों के विचलन प्रभारों पर असंतुलन व्यवस्थापन संबंधी प्रक्रिया  
उदाहरण**

चरण-1 राज्तीय विद्युत कम्पनियों (म.क्षे., पू.क्षे. एवं प.क्षे.) के कुल विचलन प्रभारों का पूर्व कोष सन्तुलन (प्रि पूल बैलेंसिंग) प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी (म.क्षे., पू.क्षे. एवं प.क्षे.) के खण्डवार विचलन प्रभारों, परिसीमा प्रभारों (कैपिंग चार्ज) तथा अतिरिक्त प्रभारों की गणना सप्ताह/माह के अन्त में की जाएगी। दिवस हेतु प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी (म.क्षे., पू. क्षे. एवं प.क्षे.) द्वारा कुल विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि प्रभारों को देय/प्राप्य बनाये जाने के लिये खण्डवार विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (डीएसएम) प्रभारों, परिसीमा प्रभारों तथा अतिरिक्त प्रभारों को दिवस स्तर पर जोड़ा जाएगा।

विद्युत वितरण कम्पनियों (म.क्षे., पू.क्षे. एवं प.क्षे.) के कुल विचलन प्रभार (सप्ताह/माह के किसी प्रदत्त दिवस के लिये)

सहभागियों द्वारा देय रकम		सहभागियों द्वारा प्राप्य रकम	
सहभागीगण	रूपये	सहभागीगण	रूपये
डी 2	3000	डी 1	4500
डी 3	2000		
<b>कुल देय रकम</b>	<b>5000</b>	<b>कुल प्राप्य रकम</b>	<b>4500</b>
जहां			
डी 1, डी 2, डी 3 क्रमशः राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों (म.क्षे., पू.क्षे. तथा प.क्षे.) हैं			
इस प्रकार राज्य विचलन कोष को/से प्राप्त रकम का किसी प्रदत्त दिवस हेतु मिलान नहीं हो रहा है। अतएवं इनके मिलान हेतु "कुल देय राशि" तथा "कुल प्राप्य राशि" के औसत को आधार मानकर देय/प्राप्य रकमों का औसत से मिलान किया जाएगा। ऐसे प्रकरण में यदि समस्त विद्युत वितरण कम्पनियां (म.क्षे., पू.क्षे. तथा प.क्षे.) किसी प्रदत्त दिवस हेतु देय या प्राप्य श्रेणियों में आती हों तो वह विद्युत वितरण कम्पनी जो न्यूनतम विचलन प्रभारों को यथास्थिति "प्राप्य अथवा देय" निरूपित किया जाएगा तथा कोष सन्तुलन किया जायेगा।			
विवरण		कुल देय रकम	कुल प्राप्य रकम
कुल रकम (रूपये में)		5000	4500
"कुल देय रकम" तथा "कुल प्राप्य रकम" का औसत (रूपये में)		4750	
समायोजन अनुपात # एआरपी1 (=औसत/कुल देय रकम) (रूपये में)		0.950000	
समायोजन अनुपात # एआरआर1 (=औसत/कुल प्राप्य रकम) (रूपये में)		1.055556	
विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा देय रकम			
सहभागीगण	मूल देय रकम (रूपये में)	समायोजन अनुपात एआरपी1	समायोजित देय रकम (रूपये में)
डी 2	3000	0.950000	2850
डी 3	2000	0.950000	1900
<b>कुल देय रकम</b>	<b>5000</b>		<b>4750</b>
विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्राप्य रकम			
सहभागीगण	मूल प्राप्य रकम (रूपये में)	समायोजन अनुपात एआरआर1	समायोजित प्राप्य रकम (रूपये में)
डी 1	4500	1.055556	4750
<b>कुल प्राप्य रकम</b>	<b>4500</b>		<b>4750</b>

परिशिष्ट-1

राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों के कुल विचलन प्रभारों का पूर्व कोष सन्तुलन			
सहभागियों द्वारा देय रकम		सहभागियों द्वारा प्राप्य रकम	
सहभागीगण	रूपये	सहभागीगण	रूपये
डी 2	2850	डी 1	4750
डी 3	1900		
कुल देय रकम	4750	कुल प्राप्य रकम	4750
चरण-2 (समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों का कोष सन्तुलन (दीर्घ अवधि के अन्तर्गत), निर्बाध (खुली) पहुँच उपभोक्ताओं को छोड़कर)			
चरण-1 से प्राप्त किये गये विद्युत वितरण कम्पनियों के दिवसवार कुल विचलन प्रभारों को लिया जाएगा तथा अन्य दीर्घ अवधि राज्यान्तरिक इकाईयों के कुल विचलन प्रभारों को क्षेत्रीय (रीजनल) रकम (देय/प्राप्य) के साथ सम्मिलित किया जाएगा तथा कोष सन्तुलन किया जाएगा। अन्य राज्यान्तरिक इकाईयों के खण्डवार विचलन प्रभारों, परिसीमा प्रभारों (कैपिंग चार्ज) तथा अतिरिक्त प्रभारों को जोड़ा जाएगा ताकि प्रत्येक सहभागी के लिये दिवस हेतु देय/प्राप्य कुल विचलन व्यवस्थापन किया विधि प्रभारों को तैयार किया जा सके। मध्यप्रदेश राज्य द्वारा दिवसवार देय/प्राप्य कुल क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन रकम पश्चिमी क्षेत्रीय ऊर्जा समिति (डब्ल्यूआरपीसी) द्वारा तैयार किये गये क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि खाते (रीजनल डीएसएम अकाउन्ट) से प्राप्त की जाएगी।			
राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि कोष खाता (सप्ताह/माह के किसी दिवस के लिये)			
सहभागियों द्वारा देय रकम		सहभागियों द्वारा प्राप्य रकम	
सहभागीगण	रूपये	सहभागीगण	रूपये
डी 2	2850	डी 1	4750
डी 3	1900	एसएसजीएस 3	3500
एसएसजीएस 1	3500	क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (डीएसएम) रकम	3000
एसएसजीएस 2	1500		
कुल देय राशि	9750	कुल प्राप्य रकम	11250
जहाँ एसएसजीएस1, एसएसजीएस2, एसएसजीएस3 राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र हैं			
क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (डीएसएम) रकम मध्यप्रदेश राज्य द्वारा देय/प्राप्य है।			
इस प्रकार राज्य विचलन कोष को/से प्राप्त रकम का किसी प्रदत्त दिवस हेतु मिलान नहीं हो रहा है। अतएवं इनके मिलान हेतु "कुल देय राशि" तथा "कुल प्राप्य राशि" के औसत को आधार मानकर देय/प्राप्य रकमों का औसत से मिलान किया जाएगा।			
विवरण	कुल देय रकम	कुल प्राप्य रकम	
कुल रकम (रूपये में)	9750	11250	
"कुल देय रकम" तथा "कुल प्राप्य रकम" का औसत	10500		
समायोजन अनुपात # एआरपी1 (=औसत/कुल देय रकम)	1.076923		
समायोजन अनुपात # एआरआर1 (=औसत/कुल देय रकम)	0.933333		
प्रथम प्रक्रम समायोजन			
सहभागियों द्वारा देय रकम-प्रथम समायोजन			
सहभागीगण	मूल देय रकम (रूपये में)	समायोजन अनुपात एआरपी	समायोजित देय रकम (रूपये में)
डी 2	2850	1.076923	3069
डी 3	1900	1.076923	2046
एसएसजीएस 1	3500	1.076923	3769
एसएसजीएस 2	1500	1.076923	1615
कुल देय रकम	9750		

## परिशिष्ट-1

सहभागियों द्वारा प्राप्य रकम-प्रथम समायोजन			
सहभागीगण	मूल प्राप्य रकम	समायोजन अनुपात एआरआर1	समायोजित देय रकम
डी 1	4750	0.933333	4433
एसएसजीएस 3	3500	0.933333	3267
क्षेत्रीय डीएसएम राशि	3000	0.933333	2800
<b>कुल प्राप्य राशि</b>	<b>11250</b>		<b>10500</b>
चूंकि क्षेत्रीय डीएसएम रकम को बिना किसी समायोजन के भुगतान किया जाना चाहिए, ऐसे में "वास्तविक क्षेत्रीय डीएसएम रकम" तथा "समायोजित डीएसएम रकम" के अन्तर की वसूली शेष सहभागियों से उनकी मूल रकमों के अनुपात में की जानी चाहिए।			
समायोजित 'क्षेत्रीय डीएसएम रकम' तथा 'वास्तविक क्षेत्रीय डीएसएम रकम' का अन्तर			2800-3000=-200
कुल मूल प्राप्य रकम, वास्तविक क्षेत्रीय डीएसएम रकम को छोड़कर			11250-3000=8250
प्राप्यों हेतु समायोजन अनुपात एआरआर2			-200 / 8250 = -0.024242
द्वितीय प्रक्रम समायोजन			
सहभागीगण	मूल प्राप्य रकम	समायोजन अनुपात एआरआर2	समायोजित प्राप्य रकम
डी 1	4750	-0.024242	-115
एसएसजीएस 3	3500	-0.024242	-85
<b>कुल प्राप्य रकम</b>	<b>8250</b>		<b>-200</b>
सहभागियों द्वारा प्राप्य रकम (सप्ताह में प्रदत्त दिवस हेतु)-अन्तिम			
सहभागीगण	प्रथम समायोजन के पश्चात रकम	द्वितीय समायोजन राशि	कुल (अन्तिम) समायोजित राशि
डी 1	4433	-115	4318
एसएसजीएस 3	3267	-85	3182
क्षेत्रीय डीएसएम रकम	3000	0	3000
<b>कुल प्राप्य रकम</b>	<b>10700</b>	<b>-200</b>	<b>10500</b>
<b>दीर्घ अवधि इकाईयों का सन्तुलित राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (डीएसएम) कोष खाता</b>			
सहभागियों द्वारा देय रकम		सहभागियों द्वारा प्राप्य रकम	
सहभागीगण	रूपये	सहभागीगण	रूपये
डी 2	3069	डी 1	4318
डी 3	2046	एसएसजीएस 3	3182
एसएसजीएस 1	3769	क्षेत्रीय डीएसएम रकम	3000
एसएसजीएस 2	1615		
<b>कुल प्राप्य रकम</b>	<b>10500</b>	<b>कुल प्राप्य रकम</b>	<b>10500</b>
<b>चरण-3 (प्रक्रम प्रथम तथा द्वितीय)</b>			
चरण-2 में सन्तुलित डीएसएम कोष खाता प्राप्त करने के पश्चात्, निर्बाध (खुली) पहुंच विद्युत उत्पादकों/निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं (लघु अवधि के अन्तर्गत) तथा विद्युत उत्पादक जो अशक्त ऊर्जा (इन्फर्म पावर) को अन्तःक्षेपित कर रहा हो, को सम्मिलित किया जाएगा तथा इसी क्रियाविधि को आगे चरण-2 के अनुरूप अन्तिम सन्तुलित डीएसएम खाता प्राप्त करने हेतु अनुप्रयोग किया जाएगा।			

Bhopal the 2nd June 2020

No. 678-MPERC.—In exercise of the powers conferred by Sections 39(2)(d)(i), 40(c)(i), 66, 86(1)(c) and 86(2)(i) read with Section 181 of the Electricity Act 2003, (No. 36 of 2003) and all power enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Electricity Balancing and Settlement Code, 2015 namely:-

**FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY BALANCING AND SETTLEMENT CODE, 2015**

**1. Short title, extent of application and commencement**

(1) This Code shall be called "Madhya Pradesh Electricity Balancing and Settlement Code, 2015 (First Amendment) {No. ARG-34(I)(i) of 2020}".

(2) This Code shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

**2. Amendment to the Clause 8**

(1) For Clause 8, the following clause shall be substituted, namely :-

**"8. Procedure for Imbalance Settlement of Deviation Charges:**

The pool balancing of Deviation Charges shall be done in following three steps:

(i) Pre pool balancing of Discoms {M.P. Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Co. Ltd. (CZ), M.P. Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Co. Ltd. (EZ) M.P. Paschim Kshetra Vidyut Vitaran Co. Ltd. (WZ)} shall be done for total Deviation Charges. The total Deviation Charges (payable / receivable) of Discoms shall be matched at day level.

(ii) Pool balancing shall be done of all Intra State entities (under long term) excluding OACs.

(iii) Pool balancing shall be done of all Intra State entities (under long term) including OACs and Generators injecting infirm power".

(2) For the existing Appendix- I, the Appendix-1 enclosed with this Amendment shall be substituted.

By order of the Commission,  
SHAIENDRA SAXENA, Secy.

**APPENDIX - I**

(Page 1 of 3)

**PROCEDURE FOR IMBALANCE SETTLEMENT OF DEVIATION CHARGES OF INTRA STATE ENTITIES  
(ILLUSTRATION)**

<b>Step -1 (Pre Pool Balancing of Total Deviation Charges of State Discoms (CZ,EZ &amp; WZ))</b>			
Blockwise Deviation charges, Capping Charges and Addl Charges of each Discoms (CZ, EZ & WZ) is calculated at the end of the week / month. The blockwise DSM Charges, Capping Charges and Additional Charges are added at a day level to make the total DSM charges payable / receivable by each Discom (CZ,EZ &WZ) for a day.			
<b>Total Deviation Charges of Discoms (CZ, EZ &amp; WZ) ( for a given day in a week / month)</b>			
<b>Amount Payable by Participants</b>		<b>Amount Receivable by Participants</b>	
Participants	Rs.	Participants	Rs.
D2	3000	D1	4500
D3	2000		
<b>Total Payables</b>	<b>5000</b>	<b>Total Receivables</b>	<b>4500</b>
Where,			
D1,D2,D3 are State Discoms (CZ,EZ & WZ)			
The amount payable and receivable to/ from State Deviation Pool does not match for a given day. In order to match them, the average of the "Total Payables" and "Total Receivables" is taken as a base and payable / receivables are matched to average. In case, if all Discoms (CZ, EZ & WZ) are payable or receivable for a given day, then Discom with minimum Deviation Charges is made "Receivable or Payable" as the case may be and pool balancing is done.			
<b>Particular</b>		<b>Total Amount Payable</b>	<b>Total Amount Receivables</b>
Sum Total (In Rs.)		5000	4500
Average of the "Total Amount Payable" and "Total Amount Receivables" (In Rs.)		4750	
Adjustment Ratio# $AR_{P1}$ (=Average / Total Amount Payable)		0.950000	
Adjustment Ratio# $AR_{R1}$ (=Average / Total Amount Receivable)		1.055556	
<b>Amount Payable by Discoms</b>			
Participants	Original Payable (In Rs.)	Adjustment Ratio $AR_{P1}$	Adjusted Payable (In Rs.)
D2	3000	0.950000	2850
D3	2000	0.950000	1900
<b>Total Payables</b>	<b>5000</b>		<b>4750</b>
<b>Amount Receivable by Discoms</b>			
Participants	Original Receivable (In Rs.)	Adjustment Ratio $AR_{R1}$	Adjusted Receivable (In Rs.)
D1	4500	1.055556	4750
<b>Total Receivables</b>	<b>4500</b>		<b>4750</b>

## APPENDIX - I

(Page 2 of 3)

Pre Pool Balancing of Total Deviation Charges of State Discoms			
Amount Payable by Participants		Amount Receivable by Participants	
Participants	Rs.	Participants	Rs.
D2	2850	D1	4750
D3	1900		
<b>Total Payables</b>	<b>4750</b>	<b>Total Receivables</b>	<b>4750</b>
<b>Step -2 (Pool balancing of all Intra State entities (under long term) excluding OACs)</b>			
The daywise Total Deviation Charges of Discoms (CZ, EZ & WZ) as obtained from Step-1 are taken and Total Deviation Charges of other Long Term Intra State entities are included along with Regional Amount (Payable / Receivable) and Pool Balancing is done. The Blockwise Deviation charges, Capping Charges and Addl Charges of Other Intra State entities are added at a day level to make the total DSM charges payable / receivable for each participant for a day. The day wise total Regional Deviation Settlement amount payable / receivable by Madhya Pradesh is obtained from the Regional DSM Account prepared by WRPC			
<b>State DSM Pool Account ( for a given day in a week / month)</b>			
Amount Payable by Participants		Amount Receivable by Participants	
Participants	Rs.	Participants	Rs.
D2	2850	D1	4750
D3	1900	SSGS3	3500
SSGS1	3500	Regional DSM amount	3000
SSGS2	1500		
<b>Total Payables</b>	<b>9750</b>	<b>Total Receivables</b>	<b>11250</b>
Where, SSGS1, SSGS2, SSGS3 are State Sector Generating Stations.			
Regional DSM Amount is the Deviation amount payable / receivable by MP.			
The amount payable and receivable to / from State Deviation Pool does not match for a given day. In order to match them, the average of the "Total Payables" and "Total Receivables" is taken as a base and payable / receivables are matched to average.			
Particular		Total Amount Payable	Total Amount Receivables
Sum Total (In Rs.)		9750	11250
Average of the 'Total Amount Payable' and 'Total Amount Receivables' (In Rs.)		10500	
Adjustment Ratio# $AR_{P1}$ (=Average / Total Amount Payable)		1.076923	
Adjustment Ratio# $AR_{R1}$ (=Average / Total Amount Receivable)		0.933333	
<b>First Stage Adjustment</b>			
Amount Payable by Participants- First Adjustment			
Participants	Original Payable (In Rs.)	Adjustment Ratio $AR_{P1}$	Adjusted Payable (In Rs.)
D2	2850	1.076923	3069
D3	1900	1.076923	2046
SSGS1	3500	1.076923	3769
SSGS2	1500	1.076923	1615
<b>Total Payables</b>	<b>9750</b>		<b>10500</b>



## APPENDIX - I

(Page 3 of 3)

Amount Receivable by the Participants - First Adjustment			
Participants	Original Receivable	Adjustment Ratio AR <sub>R1</sub>	Adjusted Receivable
D1	4750	0.933333	4433
SSGS3	3500	0.933333	3267
Regional DSM amount	3000	0.933333	2800
<b>Total Receivables</b>	<b>11250</b>		<b>10500</b>
Since regional DSM amount must be paid without any adjustments, difference "actual regional DSM amount" and adjusted DSM amount" shall be recovered from remaining participant in proportion to their original amounts			
Difference between adjusted regional DSM amount and Actual Regional DSM amount		2800-3000=-200	
Original Total receivables excluding Actual Regional DSM amount		11250-3000=8250	
Adjustment Ratio AR <sub>R2</sub> for receivables		-200/8250=-0.024242	
<b>Second Stage Adjustment</b>			
Participants	Original Receivables	Adjustment Ratio AR <sub>R2</sub>	Adjusted Receivables
D1	4750	-0.024242	-115
SSGS3	3500	-0.024242	-85
<b>Total Receivables</b>	<b>8250</b>		<b>-200</b>
Amount Receivable by Participants ( for a given day in a week) - Final			
Participants	Amount after first Adjustment	Second adjustment Amount	Total (Final) Adjusted Amount
D1	4433	-115	4318
SSGS3	3267	-85	3182
Regional DSM amount	3000	0	3000
<b>Total Receivables</b>	<b>10700</b>	<b>-200</b>	<b>10500</b>
<b>Balanced State DSM Pool Account of Long Term Entities</b>			
Amount Payable by Participants		Amount Receivable by Participants	
Participants	Rs.	Participants	Rs.
D2	3069	D1	4318
D3	2046	SSGS3	3182
SSGS1	3769	Regional DSM amount	3000
SSGS2	1615		
<b>Total Payables</b>	<b>10500</b>	<b>Total Receivables</b>	<b>10500</b>
<b>Step -3 (Stage I &amp; II)</b>			
After obtaining the balanced DSM pool account in step-2, the Open Access Generators / Open Access Consumers (under short term) and Generator injecting infirm power are included and same methodology is applied as of step-2 for obtaining the final balanced DSM pool account.			